UPPB010024992026

न्यायालय, सत्र न्यायाधीश, पीलीभीत

पीठासीन अधिकारीः रविन्द्र कुमार–चतुर्थ, एच0जे0एस0–UPID2014

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–978/2026

रामनिवास पुत्र भगवान स्वरूप, निवासी–मोहल्ला दुर्गा प्रसाद, थाना–बीसलपुर, जिला–पीलीभीत।

.....आवेदक/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 सरकार ..... अभियोगी।

मुकदमा अपराध संख्या–500/2025,
अन्तर्गत धारा–316(2), 316(2) भारतीय न्याय संहिता,
थाना–बीसलपुर, जनपद–पीलीभीत।

दिनांकः 12.06.2026

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय शपथ पत्र आवेदक/अभियुक्त रामनिवास की ओर से उपरोक्त मुकदमा अपराध, दिनांकित–28.09.2025, के मामले में, अन्तर्गत धारा–482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया है।

2. संक्षेप में अभियोजन कथानक है कि वादी मुकदमा शमशेर सिंह, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, बीसलपुर के द्वारा थाना–बीसलपुर, पीलीभीत पर दिनांक–28.09.2025 को इस आशय की तहरीर दी गई है कि रामनिवास जो नगर पालिका परिषद, बीसलपुर में सफाई कर्मचारी था के द्वारा 8–9 रसीदबुकों से जलकर, ग्रहकर, किरायाजात व अन्य मदों से दस–ग्यारह लाख रूपये की वसूली कर उसको पालिका के जमा पटल व पालिका कोष में जमा न कर सरकारी धन का गबन किया गया है।

3. आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि उसको प्रस्तुत मामले में झूठा फंसाया गया है। दर्शायी गयी घटना मनगढन्त, फर्जी एवं बनावटी है। प्राथमिकी विलम्ब से दर्ज करायी गयी है। वह नगर पालिका परिषद, बीसलपुर जिला–पीलीभीत में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। उसका कर वसूली के कार्य से कोई सरोकार या वास्ता नहीं है। वह प्रस्तुत मामले मे प्रथम सूचना रिपोर्ट के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में याचिका संख्या–24287/2005 योजित की गयी। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा मामले में दिनांक–19.11.2025 को आरोप–पत्र प्रेषित किये जाने तक उसकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी गयी। अब मामले में आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। वह एक सम्मानित व्यक्ति है तथा उसको थाना पुलिस लगातार परेशान कर रही है तथा गिरफ्तार करना चाहती है। पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने से उसके मान–सम्मान पर ठेस आयेगी। उसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। वह विचारण में पूर्ण सहयोग करेगा, किसी साक्ष्य से छेडछाड नहीं करेगा और माननीय न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना देश नहीं छोडेगा। अतः उपरोक्त आधारों पर उसको अग्रिम जमानत प्रदान किये जाने की याचना की गयी।

4. राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र का घोर विरोध करते हुए तर्क दिया है कि आवेदक/अभियुक्त द्वारा नगर पालिका परिषद, बीसलपुर रसीदबुकों से जलकर, ग्रहकर, किरायाजात व अन्य मदों से 28,59,626/–रूपये की वसूली कर उसको पालिका के जमा पटल व पालिका कोष में जमा न कर सरकारी धन का गबन किया गया है। उसके द्वारा कारित अपराध गंभीर प्रकृति का है। अतः उसके अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र को निरस्त किये जाने की याचना की गयी।

Digitally signed by RAVINDRA KUMAR
Date: 2026.06.12 16:33:18 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

5. आवेदक/अभियुक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र पर उसके विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी के तर्क सुने गये तथा उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया गया ।

6. प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक/अभियुक्त पर नगर पालिका परिषद, बीसलपुर, की रसीद बुकों से जलकर, ग्रहकर, किरायाजात व अन्य मदों से 28,59,626/–रूपये की वसूली कर सरकारी धन का गबन करने का आरोप है। विवेचना उपरान्त मामले में आरोप–पत्र प्रेषित किया जा चुका है। दौरान सुनवाई विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्था **एप्लीकेशन अन्तर्गत धारा–528 बी.एन.एस.एस. संख्या–6400/2025 श्रीमती बच्ची देवी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य** में पारित निर्णय दिनांकित–12.08.2025 पर भरोसा गिया किया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Para No-38(iv) में कहा गया है कि "For the Sake of clarity, when the trial Court encounters such anticipatory bail or protective orders under Article 226 or Section 528, BNSS specifying protection till the filing of the charge-sheet, or direct that "no coercive action"/"stay on arrest shall operate until filing of charge-sheet", these protections shall be deemed to continue until the conclusion of trial, दौरान सुनवाई आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की विधि व्यवस्था **अनुज सिरोही उर्फ हिमांशु सिरोही बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य 2026(2) जे0आई0सी0 233 (इलाहाबाद)** पर भरोसा किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद की विधि व्यवस्थओं के परिप्रेक्ष्य में यह अदालत आवेदक/अभियुक्त को अग्रिम जमानत पाने का हकदार मानती है। परिणामस्वरूप मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए गुणदोष पर कोई टिप्पणी किए बिना इस न्यायालय की राय में आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवदेक/अभियुक्त रामनिवास का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है। गिरफ्तार/समर्पण किये जाने की स्थिति में सम्बन्धित विवेचक/न्यायालय के द्वारा उसको जमानत पर निम्न शर्तानुसार रिहा किया जाए–

1. वह न्यायालय में प्रत्येक नियत तिथि पर स्वयं अथवा अपने अधिवक्ता के माध्यम् से उपस्थित होगा, तथा आरोप एवं बयान अन्तर्गत धारा–313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के स्तर पर वह व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होगा।
2. वह प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे कि उसे ऐसे तथ्यों को न्यायालय को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।
3. वह न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।
4. वह आरोपित अपराध के समान ऐसे किसी अन्य अपराध में संलिप्त नहीं होगा, जिसमें उसे आरोपित किया गया है।

दिनांकः 12.06.2026

(रविन्द्र कुमार–चतुर्थ)
UPID2014
सत्र न्यायाधीश,
पीलीभीत।